आर.सी.टी.नं.149/2026
शासन विरूद्ध कन्हैयालाल

न्यायालयः सुश्री अदिति अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहगढ़, जिला– राजगढ़ म0प्र0

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 149/2026
रजिस्ट्रेशन नं. – आर.सी.टी. 149/2026
फाईलिंग नं. – आर.सी.टी. 548/2026
सी.एन.आर. नं. – एम.पी.39070007022026
फाईलिंग दिनांक – 17.04.2026

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ जिला राजगढ म.प्र.

————————अभियोजन

विरूद्ध

01 कन्हैयालाल पिता नौरंगलाल दांगी आयु 39 वर्ष।
निवासी ग्राम सोनकच्छ थाना वतहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.

—————————अभियुक्त

पुलिस थाना नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के अपराध क्रं. 388/2025 अपराध अंतर्गत
धारा 74,75(2),331(3) बीएनएस

//–उपार्पण आदेश–//
(–आज दिनांक 28.04.2026 को पारित किया गया–)

1– इस आदेश द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 74,75(2),331(3) बीएनएस** का उपार्पण बीएनएसएस, 2023 की के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय, राजगढ के यहां किया जा रहा है।

2– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी कन्हैयालाल जबर दस्ती फरियादी के घर में घुस आया और उसने बूरी नियत से फरियादी का हाथ पकड़ लिया। जब फरियादी चिल्लाई तब उसका पति घर पर आगया जिसे देखकर आरोपी भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा **74,75(2),331(3)** बीएनएस का मामला पंजीबद्ध किया गया।

3– आरोपी पर आक्षेपित अपराध अनन्य रूप से माननीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ जिला राजगढ के प्रकरण क्रमांक 149/2026 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ विरूद्ध कन्हैयालाल का उपार्पण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, राजगढ को उपार्पित किया जाता है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 28.05.2026 नियत की जाती है और इस प्रकारण में अभियुक्त **जमानत पर स्वतंत्र** है।

4– प्रवर्तन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का अभिलेख मय रिमाण्ड पत्र,यम एफ आई आर एवं केश डायरी सभी दस्तावेजों सहित व्यवस्थित रूप से दिनाक 28.05.2026 को पर्याप्त समय के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय, राजगढ को प्रेषित करे। मालखाना नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामग्री जमा होने पर दिनाक 28.05.2026 को पर्याप्त समय के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय, राजगढ को प्रेषित करें।

5– प्रकरण के उपार्पण की सूचना अतिरिक्त लोक अभियोजक को दी जावे ।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सुश्री अदिति अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
नरसिंहगढ जिला राजगढ़ म.प्र.

(सुश्री अदिति अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
नरसिंहगढ जिला राजगढ़ म.प्र.

ADITI AGARWAL

Digitally signed by ADITI AGARWAL
Date: 2026.04.28 17:25:34 +0530